


09/12/22 पत्रावली पैशा हुई प्रार्थीगण के अनिर्भाषक
श्री रामचन्द्र सिंह मारी उपाधित।

अप्रार्थी राज्य की और से पैरोकार राज
उपाधित। शेष अप्रार्थीगण की तलबी
की जावे।

राज्य की और से उपाधित पैरोकार
राज ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण का
उस्तुत जर्घना पत्र संधारण योग्य नहीं
है।

जिसके कारण अस्थायी निशोधना
आदेश उनके पदा में नहीं दिया जा
सकता क्योंकि प्रार्थीगण ने विवादित
जमीन को मौकसी जायदाद मानते हुए
उस्तुत दावा व अस्थायी निशोधना


उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। लेकिन
मौसमी जमीन के संबंध में कोई साक्ष्य
व रिफार्ड प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का
प्रकरण प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन,
व अपूर्णिय बर्तन के विन्दु को उदासीन
नहीं करता है। इसी आधार पर प्रार्थीगण
का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निरीक्षण
आदेश अस्वीकार कर खारिज किया
जाता है।

विस्तृत आदेश प्रथम से मेरे द्वारा
लिखवाया जाकर शामिल मिल करवाया
गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर ~~हल व जोर~~
हम फिला मूल वाद रहे निर्णय आज
दिनांक 09/12/2022 को सुनया गया।

4 ✓
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर